

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7193-98


दिनांक:- 22-11-2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल की जीबी की बैठक दिनांक 21.10.2024 के एजेन्डा संख्या 4 के अन्तर्गत अतिरिक्त योग्यता (पोस्ट बेसिक, एमएससी) के संबंध में निम्न निर्णय लिए गये हैं:-

1. अतिरिक्त योग्यता में राजस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पंजीयन, कॉलेज से सत्यापन के उपरान्त ही पंजीयन किया जायेगा।
2. अन्य राज्य से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मूल दस्तावेजों का सत्यापन कौंसिल स्तर पर किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन किया जायेगा।
3. अतिरिक्त योग्यता पंजीयन शुल्य राजस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 1500/- रुपये तथा अन्य राज्य के उत्तीर्ण के 2000/- रुपये शुल्क लिया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित पर तुरन्त प्रभाव से लागु किये जाते हैं।


(भारती)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांक:- आर.एन.सी./2024/जीबी/7193-98

दिनांक:- 22-11-2024

प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित), निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
3. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
4. आई.टी. सलाहकार को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर